दिनांक – 21 अप्रैल 2009

प्रति

जिला मजिस्ट्रेट / जिला कार्यक्रम समन्वयक

सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली व इलाहाबाद (संकारगढ़ ब्लॉक)

विषय : विशेष वृक्षारोपण अभियान 2009 –10 की निगरानी

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 में बुंदेलखंड और विन्ध्याचल में विशेष वृक्षारोपण अभियान के लिए आदेश जारी किए हैं जिसमें कि उपरोक्त क्षेत्रों के ग्यारह जिलों में 55 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का एनआरईजीएस और वन विभाग के संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना है। वन विभाग के पास उपलब्ध तकनीकी और मानव संसाध और एनआरईजीएस के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच संसरण हासिल करने का यह एक प्रमुख प्रयास है, जो कि एनआरईजीएस श्रमिकों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को रोजगार उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, जिससे इस क्षेत्र के गरीब परिवारों की आजीविका के स्रोत को और मजबूत मिलेगी।

आप सहमत होंगे कि समवर्ती निगरानी और एनआरईजीएस के जॉब कार्ड धारकों को इस काम के लिए संघटित करना इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहॉ यह भी कहना उचित है कि यह परियोजना बुंदेलखण्ड के जिलों में वर्ष 2008–09 में शुरू की गई, जहॉ गैर सरकारी सगंठनों और अन्य स्वतंत्र संगठनों को समवर्ती निगरानी, राय और काम के मूल्याकन के लिए तैनात किया गया था। एक गैर सरकारी संगठन को 1–2 ब्लॉक आबंटित किए गए थे और एनआरईजीएस के तहत स्वीकार्य प्रशासनिक खर्चों से वित्तीय सहायता दी गई। इसका अनुभव ऐसा था की न केवल कार्यक्रम के मध्य में सुधार हुआ, बल्कि पूरी प्रक्रिया से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी निकल के आई जो इससे पहले विभागों में उपल्ब्ध नहीं थी। इसके अलावा इस पहल से तीसरे पक्ष के सत्यापन के रूप में कार्यक्रम को विश्वसनीयता भी प्राप्त हुई।

इलाहाबाद के आर्थिक अनुसंधान केन्द्र को एनआरईजीएस श्रमिकों और परियोजना में शामिल अन्य कार्यकर्ताओं के अनुवर्तन, प्रशिक्षण और संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनका कार्य क्षेत्र विन्ध्याचल के ब्लॉकों में होगा। गांवों व ब्लॉकों के चयन को तब अंतिम रूप दिया जायेगा जब एक बार वन विभाग द्वारा पौधा रोपण स्थलों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय को मूल्याकंन का कार्य सौंपने की योजना है। यह प्रस्ताव बी.एच.यू. के कुलाधिपति के समक्ष रखा गया है।

आप अपने क्षेत्र में, इस कार्य को करने में सक्षम अन्य प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के बारे में अनुशंसा कर सकतें है क्योंकि इस परियोजना के विशाल आकार को देखते हुए किसी एक संगठन के लिए उपर्युक्त सारे कामों को करना संभव नहीं है। विशेष वृक्षारोपण अभियान पर सरकारी आदेश में

प्रावधान है कि डी.पी.सी. द्वारा भी उपर्युक्त कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों की पहचान की जा सकती है। मैं आपको संबंधित क्षेत्रों में हो रहे अन्य परिवर्तनों से अवगत कराता रहूंगा।

आपसे अनुरोध है की आप सभी सम्बंधित लोगों को सूचित कर दें कि वे आर्थिक अनुसंधान केन्द्र को उपर्युक्त कार्यों के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग प्रदान करें। यह पत्र अंग्रेजी में है क्योंकि मैं अभी पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर हूँ और मैं हिन्दी में टंकण नही कर सकता हूँ। इसलिए कृपया इससे हुई असुविधा को नज़रन्दाज़ करने का कष्ट करें।

(मनोज कुमार सिंह)

कमिश्नर

ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि–:

श्री हरगोविंद सिंह, आर्थिक अनुसंधान केन्द्र को इस अनुरोघ के साथ की वन विभागों द्वारा दी गई कुछ साईटों की सूची इस मेल के साथ संलग्न है।

आपको निम्नलिखित चीजें करनी हैं–

1. अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, गांवों/ब्लॉकों की पहचान करना, जहॉ आप इस काम को कर सकते हैं।
2. संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों और नीचे हस्ताक्षर करने वाले को उपर्युक्त सारी बातों से सूचित करें।

आपके संगठन की जिम्मेदारियां–

1. साईटों/गांवों पर जायें, ग्रामीणों/प्रधान/रोजगार सेवकों/पंचायत सचिव/वन रक्षक व अन्य अधिकारियों खासकर एनआरईजीएस जॉब कार्ड धारकों के साथ बैठकें आयोजित करें।
2. उन्हें अपनी आजीविका के लिए इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को समझायें।
3. उनसे कार्यक्रम संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव, लागू करने की विधि में बदलाव या प्रासंगिकता से संबंधित प्रतिक्रियाओं को लें।
4. जो ग्राम पंचायत परियोजना में हैं उनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जॉब कार्ड धारकों की सूची बनाने के कार्य में ब्लॉक अधिकारियों की मदद करें और वन विभाग के रेन्ज अधिकारियों को सूची जमा करें। इस बात का ध्यान दें कि सूची में उनके बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम उल्लेखित हैं।

5. सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वन विभाग को जो मस्टर रोल जारी किया गया है उसमे बैंक खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड धारकों की सूची भी साथ में दी गई हैं।

6. मजदूरों, ब्लॉक अधिकारियों और बैंकों को मजदूरों के खाते, यदि न खुले हों तो, खोलने के लिए संगठित करें।

7. सुनिश्चित करें कि राशि वितरित की जाने के बाद मस्टर रोल एनआरईजीए के एमआईएस पर अपलोड किए जा रहे हैं।

8. शामिल अधिकारियों और मजदूरों को प्रावधानों/एनआरईजीएस के अनुसूची दरों के बारें में प्रशिक्षित करें।

9. सुनिश्चित करें की साईटों पर मॉडल पिट, कटी हुई ट्रेन्च, दवाई, पीने का पानी, शेड, बच्चों का झूलाघर हों।

10. सुनिश्चित करें कि उचित संख्या में महिला कर्मी कार्य कर रहीं हों।

11. मिट्टी के काम और वृक्षारोपण की गुणवत्ता पर नजर रखी जाऐ।

12. स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहायता करें, विशेष रूप से उन महिला जॉब कार्ड धारकों के समूहों के गठन में, जिन्हें वन विभाग के नियंत्रण और मार्गदर्शन में पानी देने और साईटों के प्रबंधन के कार्य सौंपे गए हों।

13. हर स्तर पर, प्रक्रियाओं और कार्य के कार्यान्वयन का तस्वीरों के साथ दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करें।

14. प्रगति के बारें में नियमित रूप से प्रतिक्रियाओं को अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाएं। और किसी भी प्रकार की समस्याओं या कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ या अंतर के बारे में भी सूचित करें।

15. कोई भी अन्य मुद्दे जो समय–समय पर आ सकतें हैं उन्हें सूचित करें।